



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 309 राँची, शुक्रवार, 3 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
24 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

12 फरवरी, 2024

संख्या-7/प्रोन्नति-203/2016 (खण्ड) का० 977--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विनय कुमार (वरी.क्र.- 609), उप सचिव (पी०बी० - III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैंड रु० 37400-67000 /-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-7/प्रोन्नति- 203/2016 (खण्ड) का. 978--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री देव कुमार सिंह (वरी. क्र. - 611), उप सचिव (पी०बी० - III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० - रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), विधि विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैण्ड रु० 37400-67000 /-, ग्रेड पे० - रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक विधि विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-7/प्रोन्नति-203/2016 (खण्ड) का. 979--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अरूण कुमार (वरी.क्र.- 621), उप सचिव (पी०बी० - III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० - रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 12), पर्यटन, कला - संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी० - IV, पे० बैण्ड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे० - रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-7/प्रोन्नति -203/2016 (खण्ड) का. 980--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री ब्रह्मदेव मोदी (वरी. क्र. - 628), उप सचिव (पी०बी० - III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी० - IV, पे० बैण्ड रु० 37400-67000/- ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-7/प्रोन्नति-203/2016 (खण्ड) का. 981--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री प्रदीप कुमार (वरी. क्र. - 636), उप सचिव (पी०बी० - III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैण्ड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-7/प्रोन्नति- 203/2016 (खण्ड) का. 982--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री रवि शंकर (वरी.क्र.- 638), उप सचिव (पी०बी० - III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० - रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 12) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी० बी० - IV, पे० बैण्ड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-7/प्रोन्नति-203/2016 (खण्ड) का. 983--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राणा संजय (वरी० क्र. - 664), उप सचिव (पी०बी० - III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० - रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 12) राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची को संयुक्त ! सचिव कोटि (पी०बी० - IV, पे० बैण्ड रु० 37400-67000 /-, ग्रेड पे० - रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-7/प्रोन्नति -203/2016 (खण्ड) का० 984--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री प्रमोद कुमार (वरी.क्र.- 684), उप सचिव (पी०बी० - III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० - रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 12), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी० - IV, पे० बैण्ड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे०- रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-7/प्रोन्नति -203/2016 (खण्ड) का. 985--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री शिव शंकर हांसदा (वरी.क्र. - 923) उप सचिव (पी०बी० - III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० - रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 12), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी० - IV, पे० बैण्ड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे० - रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-7/प्रोन्नति-203/2016(खण्ड)का०986--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राजकिशोर खाखा (वरी.क्र.-924), उप सचिव (पी०बी० - III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 12), पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (सम्प्रति-उप निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकार के पद पर प्रतिनियुक्त), झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी० बी० - IV, पे० बैंड रु० 37400-67000 /-, ग्रेड पे० - रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ झारखण्ड सेवा संहिता के नियम - 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम - 74 के प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नत पद पर योगदान / प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
